बिहार सरकार

<u>खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग</u>

<u>महत्वपूर्ण</u>
<u>फैक्स/ई-मेल</u>

पत्रांक-प्र07-कि0आ0-01/2014- 1616 खाद्य, पटना/दिनांक- 04/03/2014

प्रेषक,

विद्यु भूषण चौधरी
सरकार के उप सचिव ।

सेवा में,

<u>सभी प्रमंडलीय आयुक्त</u>
सभी जिला पदाधिकारी ।

विषयः- **मार्च, 2014 के लिए किरासन तेल का उपावंटन के संबंध में ।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय से संबंधित पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार से वर्ष 2013-14 के चतुर्थ त्रैमास के माह, जनवरी, फरवरी एवं मार्च 2014 के लिए कुल 203508 के0एल0 किरासन तेल का आवंटन प्राप्त हुआ है । भारत सरकार से यह भी निदेश प्राप्त हुआ है कि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मासिक किरासन तेल के आवंटन का सम्पूर्ण उठाव उक्त मास की समाप्ति से पूर्व ही कर लिया जाय । अति विशिष्ट परिस्थितियों, यथा प्राकृतिक आपदा, इत्यादि की स्थिति में ही उपावंटन के विरूद्ध अवशेष तेल को अगले मास में अग्रगणित किया जा सकता है ।

2. जिलों द्वारा प्रतिवेदित अवशेष किरासन तेल की मात्रा का समायोजन करते हुए संलग्न तालिका के अनुरूप माह मार्च, 2014 के लिए किरासन तेल का उपावंटन किया जा रहा है ।

3. जिला पदाधिकारी, मधुबनी की अधियाचना के आलोक में छात्रावासों/लॉजों/मदरसों एवं अन्य शिक्षण संस्थानों में रहने वाले छात्रों को किरासन तेल की आपूर्ति हेतु मधुबनी जिला के लिए जिला सुरक्षित मद में अरवल जिला के जिला सुरक्षित मद की मात्रा काट कर 4107 लीटर अतिरिक्त किरासन तेल सहित कुल 8214 लीटर किरासन तेल का आवंटन किया जा रहा है ।

4. पटना जिला के लिए आवंटित किरासन तेल में सारण जिला के दिघवारा अन्तर्गत अकिलपुर पंचायत के 3598 ग्रामीण परिवारों, पटना हाई कोर्ट सेन्ट्रल कंज्यूमर्स कॉपोरेटिव स्टोर के 3170 सदस्यों एवं दानापुर छावनी परिषद् के 10,220 परिवारों का भी आवंटन सम्मिलित है ।

5. औरंगाबाद जिला के आवंटन में जम्होर विघटित अधिसूचित क्षेत्र के 2000 परिवारों का भी आवंटन सम्मिलित है ।

6. ग्रामीण एवं सुदूरवर्ती थानों में रोशनी के लिए आवंटित तेल को संबंधित जिलों के आरक्षी अधीक्षक को उपलब्ध करा दिया जाय ।

7. सरकार द्वारा थोक विक्रेताओं को जिला स्तर से किरासन तेल आवंटित करने के निर्णय के आलोक में विस्तृत निदेश, विभागीय पत्रांक- 4030 दिनांक-26.07.2010 द्वारा उपलब्ध कराया गया है । उक्त निदेश के आलोक में थोक विक्रेताओं को किरासन तेल उपावंटित कर आवंटन आदेश की एक प्रति अविलम्ब जिलों से संबंधित आई0 ओ0 सी0/बी0 पी0 सी0 एल0 /एच0 पी0 सी0 एल0 के डिवीजनल रिटेल सेल्स मैनेजर/एरिया मार्केटिंग मैनेजर तथा राज्य स्तरीय संयोजक -सह- महाप्रबंधक, आई0ओ0सी0 पटना को उपलब्ध करा दिया जाय ताकि तेल कंपनियाँ ससमय आवंटित मात्रा विमुक्त कर सके ।

8. थोक विक्रेताओं का आवंटन निर्धारित करते समय जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं एवं उपभोक्ताओं के व्यापक हित एवं भौगोलिक अवस्थिति तथा थोक विक्रेताओं की भंडारण क्षमता आदि को ध्यान में रखा जाय ।

अनुरोध है कि विभागीय पत्रांक- 1871 दिनांक- 13.07.05 द्वारा निर्धारित रोस्टर के अनुसार निर्धारित अवधि अन्तर्गत किरासन तेल का उठाव कराकर लाभुकों के बीच मासिक अनुमान्य मात्रा की आपूर्ति अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जाय । वितरण के उपरान्त माह अप्रैल 2014 के प्रथम सप्ताह में विहित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण-पत्र भी भेजना सुनिश्चित किया जाय ।

विश्वासभाजन,
3/3/14
सरकार के उप सचिव ।

ज्ञापांक- प्र07-कि0आ0-01/2014- 1616 खाद्य, पटना/दिनांक- 04/03/2014

प्रतिलिपि- माननीय मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित ।

3/3/14
सरकार के उप सचिव ।

ज्ञापांक- प्र07-कि0आ0-01/2014- 1616 खाद्य, पटना/दिनांक- 04/03/2014

प्रतिलिपि- राज्य स्तरीय संयोजक -सह- महाप्रबंधक, भारतीय तेल निगम, लोक नायक जय प्रकाश भवन, डाक बंगला चौक, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

अनुरोध है कि संलग्न जिलावार उपावंटन सूची के अनुरूप जिलावार तेल कंपनी का कोटा निर्धारित कर सभी जिलों एवं विभाग को उसकी एक प्रति उपलब्ध करायी जाय तथा जिलों द्वारा थोक विक्रेताओं को उपावंटित किरासन तेल की आपूर्ति सुनिश्चित की जाय ।

3/3/14
सरकार के उप सचिव ।

ज्ञापांक- प्र07-कि0आ0-01/2014- 1616 खाद्य, पटना/दिनांक- 04/03/2014

प्रतिलिपि- पुलिस महानिरीक्षक (प्रोविजन) बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

3/3/14
सरकार के उप सचिव ।

ज्ञापांक- प्र07-कि0आ0-01/2014- 1616 खाद्य, पटना/दिनांक- 04/03/2014

प्रतिलिपि- प्रशाखा पदाधिकारी (वितरण), पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार को संदर्भित पत्र के आलोक में सूचनार्थ प्रेषित ।

3/3/14
सरकार के उप सचिव ।